संख्या:79/2026/552/35-4-2026/35-4002(003)/21/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266/त्व०आ०वि०यो०/आगणन /2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-चन्दौली में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. 2848.27 लाख (रूपये अट्ठाइस करोड़ अड़तालीस लाख सत्ताइस हज़ार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 714.00 लाख (रूपये सात करोड़ चौदह लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत बीकापुर में गुप्तनाथ के घर से उत्तर तरफ सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	205	15.39	4.00	ग्रा0अ0वि0
2	विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत पटनवां में गोड़ी भोलानाथ सिंह के मशीन तक तारकोल रोड निर्माण कार्य।	1020	43.09	11.00	ग्रा0अ0वि0
3	विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत करवदियां में प्राथमिक विद्यालय से ईश्वरी शरण सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	200	16.94	4.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4	विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत बलिया कलां में उचहरा नहर से लेकर समर बहादुर के घर से होते हुए लालजी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	200	16.60	**4.00**	ग्रा0अ0वि0
5	विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत सदापुर में प्रेमनारायण के घर से धारा बियार के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	155	17.61	**4.00**	ग्रा0अ0वि0
6	विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत सोता में प्रेम पाठक के खेत से सुधू बिन्द के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	385	23.46	**6.00**	ग्रा0अ0वि0
7	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत विशुनपुरवां में सुरेन्द्र दूबे के खेत से रामधनी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	400	32.05	**8.00**	ग्रा0अ0वि0
8	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत रसियां में रामअवतार सिंह के घर से शहाबगंज गांधीनगर सम्पर्क मार्ग का सी०सी० रोड नवनिर्माण कार्य।	1200	55.34	**14.00**	ग्रा0अ0वि0
9	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत लेहरा में छलका से लेकर चिरंजीव सिंह के खेत तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	1000	46.81	**12.00**	ग्रा0अ0वि0
10	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत रामपुर धन्नू में सन्त रविदास राजकीय पालीटेक्निक कालेज तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	220	18.14	**5.00**	ग्रा0अ0वि0
11	विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम पंचायत मिरदासपुर में जयहिन्द उपाध्याय के घर से शंकर जी मन्दिर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	530	45.01	**11.00**	ग्रा0अ0वि0
12	विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम पंचायत घरौली में धनेश कानू (रिंकू सिंह) के घर से नदी सड़क (ब्रह्म जी) तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	335	34.45	**9.00**	ग्रा0अ0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

13	विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम पंचायत माधोपुर में मेन रोड से जगदीश उपाध्याय के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	390	39.70	**10.00**	ग्रा0अ0वि0
14	विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम पंचायत मचियां कलौं में गंगा नहर से वशिष्ठ के घर तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य।	430	42.11	**11.00**	ग्रा0अ0वि0
15	विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम पंचायत लीलापुर में राजवंश शर्मा के घर से राजकुमार पासवान के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	410	33.00	**8.00**	ग्रा0अ0वि0
16	विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम पंचायत सुडाव के राजश्वगांव गायघट में रामू के घर से नदी तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य।	135	13.50	**3.00**	ग्रा0अ0वि0
17	विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम पंचायत मझगावां में अशोक कोल के घर से वैद्यनाथ के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	140	10.77	**3.00**	ग्रा0अ0वि0
18	विकास खण्ड बरहनी अन्तर्गत ग्राम सभा तेन्दुहान मे मुख्य नहर से महेन्द्र राजभर के घर होते हुए ग्राम दुधारी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	750	30.97	**8.00**	ग्रा0अ0वि0
19	विकास खण्ड बरहनी अन्तर्गत ग्राम कल्यानपुर भोखरी मे काली माता मन्दिर से रमऊपुर गाँव तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	900	31.74	**8.00**	ग्रा0अ0वि0
20	विकास खण्ड बरहनी अन्तर्गत ग्राम इमिलियां से ब्रम्ह बाबा मन्दिर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	950	45.22	**11.00**	ग्रा0अ0वि0
21	विकास खण्ड बरहनी अन्तर्गत ग्राम भैसऊर नहर से ग्राम डैना पिच रोड तक मार्ग का नव निर्माण।	2300	106.20	**27.00**	ग्रा0अ0वि0
22	विकास खण्ड बरहनी अन्तर्गत अरंगी-धनाईतपुर मार्ग से ग्राम अरंगी मे बिन्द बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1450	90.35	**23.00**	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

23	विकास खण्ड धानापुर अन्तर्गत डेढ़ावल धानापुर मुख्य मार्ग आवाजापुर ब्रम्हबाबा से विशुनपुर कला तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2000	88.22	**22.00**	ग्रा0अ0वि0
24	विकास खण्ड धानापुर अन्तर्गत ग्राम इनायतपुर मुख्य मार्ग से भोले राजभर के मशीन वाया दलित बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1450	64.59	**16.00**	ग्रा0अ0वि0
25	विकास खण्ड धानापुर अन्तर्गत धानापुर-अवही मुख्य मार्ग मनीपट्टी से ग्राम लखईपुर बिन्द बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	950	33.65	**8.00**	ग्रा0अ0वि0
26	विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा शाहपुर में भिखारीपुर बनौली चट्टी पिच रोड छोटकू सिंह व अलगू यादव के खेत से पासवान बस्ती होते हुए रामकेवल पासवान के सामने लिंक रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	505	42.76	**11.00**	ग्रा0अ0वि0
27	विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा भोजपुर में गुलरिया माता मन्दिर से सलीम के जमीन व सेवई फैक्ट्री होते हुए पारस पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	560	31.09	**8.00**	ग्रा0अ0वि0
28	विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा बिसौरी में हनुमान मन्दिर से मनीष सिंह के मकान से होते हुए यादव बस्ती तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	550	36.92	**9.00**	ग्रा0अ0वि0
29	विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम चन्दाईत में चकिया मार्ग रामअवध गॉड के दुकान से हनुमान मन्दिर होते हुए शर्मा बस्ती तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	510	35.69	**9.00**	ग्रा0अ0वि0
30	विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा सेमरा में डोमरी मुख्य मार्ग से बाए तरफ आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	535	33.97	**8.00**	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

31	विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम उसरोड़ी में मेन नहर अरविन्द सिंह के खेत से स्नेह प्रताप के मकान से होते हुए चन्द्रशेखर बियार के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	510	50.73	13.00	ग्रा0अ0वि0
32	विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा जिवनाथपुर में मेन रोड रामकेर के मकान से परमात्मा केशरी के मकान से होते हुए रामानन्द केशरी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	518	34.40	9.00	ग्रा0अ0वि0
33	विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा गंगेहरा में विजई बियार के दुकान से सीता गुप्ता के दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	580	41.22	10.00	ग्रा0अ0वि0
34	विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा त्रिभुवनपुर में जलखोर बबुरी मेन रोड माईनर से कम्पोजिट विद्यालय त्रिभुवनपुर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	42.10	11.00	ग्रा0अ0वि0
35	विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा अमोधपुर में अलीनगर चकिया मुख्य मार्ग से अमोधपुर पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	680	57.90	14.00	ग्रा0अ0वि0
36	विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा बनौली खुर्द में बडवल राजवाहा से नसीरपुर लिंक रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	56.44	14.00	ग्रा0अ0वि0
37	पं०दी०द०उ० नगर के वार्ड नं०-07 विकास नगर में गोपाल जायसवाल के मकान से शिव खरवार व शैलेन्द्र उपाध्याय के मकान से होते हुए बुल्लू पान वाले तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	600	36.02	9.00	ग्रा0अ0वि0
38	विकासखण्ड सकलडीहा के ग्राम ककरही में चन्दौली कैली रोड से ककरही कला सम्पक मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	530	18.63	5.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

39	विकासखण्ड सकलडीहा के ग्राम पीधापुर में बरती तुलसी आश्रम मार्ग पर निरहू बिंद के घर से राकेश पाठक के खेत तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	500	22.19	**6.00**	ग्रा0अ0वि0
40	विकासखण्ड-वहनियां के ग्रामसभा मोलनापुर में हरधन जूड़ा मोलनापुर पहाडपुर मार्ग से अरविंद के घर की तरफ पिच रोड का निर्माण कार्य।	500	18.02	**5.00**	ग्रा0अ0वि0
41	विकासखण्ड चहनिया में बड़गांवा नादी निधौरा सम्पक मार्ग से नादी निधौरा खेल के मैदान तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	550	19.82	**5.00**	ग्रा0अ0वि0
42	विकासखण्ड-वहनियां के ग्राम छपरा में बलुआ टाण्डा मार्ग से छपरा तुडका मार्ग पर पिच रोड से सम्पक मार्ग का निर्माण कार्य।	580	21.13	**5.00**	ग्रा0अ0वि0
43	विकास खण्ड चकिया के ग्रामसभा बोदलपुर में स्व० मोलई यादव के घर के पास पुलिया से नीरा देवी के घर से पोखरे के पास तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	520	49.38	**12.00**	ग्रा0अ0वि0
44	विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत बोदलपुर में विशेश्वर पासवान के खेत से गुलाल बन्धी के मेन माइनर तक नाला निर्माण कार्य हेतु।	900	113.09	**28.00**	ग्रा0अ0वि0
45	विकास खण्ड चकिया के ग्रामसभा मुडहुआ व बिसौरा पंडी मेन रोड से हरिजन बस्ती के पहले से लिटोरवा होते हुए लल्लन मिश्र व सुनिल यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	750	80.82	**20.00**	ग्रा0अ0वि0
46	विकास खण्ड चकिया के ग्रामपंचायत शिकारगंज में पंचायत भवन नहर के पास से सीताताली रोड़ में रामशकल यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	610	65.21	**16.00**	ग्रा0अ0वि0
47	चन्दौली बबुरी रोड स्टेट बैंक से होते हुए विकल सिंह के खेत से होते हुए जसुरी नहर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1000	51.52	**13.00**	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

48	चन्दौली नगर वार्ड नं0-11 में नमन सिंह के खेत से होते हुए केजी नंदा हास्पीटल तक साइडवाल व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	700	60.58	**15.00**	लो0नि0वि0
49	चन्दौली नगर में शंकर मोड़ वार्ड नं0-12 पूरब पट्टी पर शारदा प्रसाद के घर से नेगुरा चौहान बस्ती तक साइडवाल व इण्टरलॉकिग का निर्माण कार्य।	800	69.20	**17.00**	लो0नि0वि0
50	चन्दौली बबुरी मार्ग के पडया ग्राम में ईट भट्ठा से नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1000	51.85	**13.00**	लो0नि0वि0
51	शिवपूर नहर के पुलिया से ओम प्रकाश मौर्या के खेत तक साइडवाल व इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य	600	52.01	**13.00**	लो0नि0वि0
52	पलिया सैदपुर मार्ग से चकई होते हुए साबोपुर तक मार्ग का निर्माण।	1500	66.41	**17.00**	लो0नि0वि0
53	सकलडीहा ग्राम कोडरिया में नहर से मौनी बाबा आश्रम तक मार्ग निर्माण।	600	20.22	**5.00**	लो0नि0वि0
54	ग्राम कुर्मी में नहर के पुलिया से बायें तरफ शोभनाथ राय के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1000	56.41	**14.00**	लो0नि0वि0
55	विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम लौदा में पानी टंकी से लेकर ख्यालगढ़ काली माता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1000	50.52	**13.00**	लो0नि0वि0
56	विकास खण्ड सदर चन्दौली के ग्राम हडरिका के फुगनीपुर में आशापुर रोड से टेगरी विश्वकर्मा के घर के घर तक साइडवाल व इण्टरलॉकिग का निर्माण कार्य।	500	43.55	**11.00**	लो0नि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

57	विकास खण्ड नियामताबाद के नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के वार्ड नं0-4 गिधौली में संजय यादव पासवान के मकान से संतोष पटेल के मकान से अरविन्द मौर्य के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	750	79.00	**20.00**	लो0नि0वि0
58	विकास खण्ड सदर के ग्राम सलेमपुर में दनवावीर बाबा से प्रभुनारायण सिंह के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1500	74.67	**19.00**	लो0नि0वि0
59	विकास खण्ड के ग्राम-शाहपुर के राजस्व ग्राम नवागढ़ में नहर पर शाहपुर बहेरा सम्पर्क मार्ग से रामधीन के घर से होते हुए काली माता मंदिर तक इण्टरलॉकिग का कार्य।	600	52.01	**13.00**	लो0नि0वि0
60	विकास खण्ड सदर में ग्राम भिखारीपुर बनौली चट्टी मार्ग से नवागढ़ सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	650	56.31	**14.00**	लो0नि0वि0
61	विकास खण्ड सकलडीहा के ग्राम टड़िया में पंचायत भवन से होते हुए प्राथमिक विद्यालय से ट्यूवेल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	600	25.26	**6.00**	लो0नि0वि0
62	विकास खण्ड चहनियां के चहनियां भूपौली मार्ग से महालक्ष्मी महादेवी सिद्धपीठ सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	900	47.45	**12.00**	लो0नि0वि0
63	विकास खण्ड सकलडीहा, ग्राम सभा बसंतपुर में सकलडीहा चन्दौली मुख्य मार्ग से बसन्तपुर ग्राम सभा में हरिपुर यादव के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	800	27.67	**7.00**	लो0नि0वि0
64	विकास खण्ड नियामताबाद ग्राम सभा कुण्डा खुर्द में पड़ाव भूपौली मेन सड़क से गुलाम के बोरिंग होते हुए राममूरत यादव के घर तक साइडवाल व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	700	61.19	**15.00**	लो0नि0वि0
	योग	**45293**	**2848.27**	**714.00**	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय **7,14,00,000** (रूपये **सात करोड़ चौदह लाख** मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:79/2026/552(1)/35-4-2026/35-4002(003)/21/2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मंडल ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चन्दौली।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली।
17- गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।